

म/वि/सतना/2018/0335

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा
जिला रीवा म0प्र0



ललित सिंह तनय समयलाल सिंह उम्र 32 साल पेशा खेती निवासी ग्राम
ऐरा तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 आवेदक

बनाम

प्यारेलाल सिंह तनय रामेश्वर सिंह उम्र करीब 62 साल पेशा खेती नि0
ग्राम ऐरा तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 अनावेदक

आध्यात्मिकी तहसिल सिंह
द्वारा पेशा (23-2-18)
[Signature]

निगरानी विरुद्ध सीमांकन आदेश
राजस्व निरीक्षक बृत्त मौहारी कटरा
तह0 अमरपाटन जिला सतना
दिनांक 20.6.2017 जो सीमांकन
प्रक0 क0 52/अ12/16-17 मे
पारित किया जाकर अनावेदक द्वारा
कराये गये सीमांकन की पुष्टि की
गई

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0
भू रा0 संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न लिखित आधारो पर प्रस्तुत
है:-

- 1- यह कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित प्रश्नाधीन सीमांकन
पुष्टिकरण आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने
योग्य है।

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

(4)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II/अ/18/1335 जिला सतना

मलिन सिंह विरुद्ध प्योलात सिंह

1	2	3
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>महेन्द्र सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त <u>मोहरी</u> तहसील <u>भयवपुर</u> के प्रकरण क्रमांक <u>52/38/12/16-17</u> में पारित आदेश दिनांक <u>20-06-2017</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>सतना</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>25-3-19</u> को कलेक्टर <u>सतना</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	<p>सदस्य</p>



(Handwritten signature)